

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प3 (क)/अलेसे II लिंक न. 3552 / 2039

दिनांक :- 11/12/2017

कार्यालय आदेश

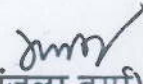
श्री /श्रीमती / सुश्री विजय सिंह चुण्डावत(वि) [लिंक नं. 3552] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय¹ कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, खमनोर, राजसमंद - [2170] जिनकी जन्म तिथि 01/07/1958 है, ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01/02/2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध किया है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996, के नियम 50 (1) के अन्तर्गत इन्हें दिनांक 01/02/2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

श्री विजय सिंह चुण्डावत(वि) की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 01/09/1979 है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय सिंह चुण्डावत(वि) के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- प3 (क)/अलेसे II लिंक न. 3552 / 2039

दिनांक :- 11/12/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, खमनोर, राजसमंद
4. कोषाधिकारी राजसमंद
5. श्री /श्रीमती / सुश्री विजय सिंह चुण्डावत (वि) [3552] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय कार्यालय विकास आधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, खमनोर, राजसमंद
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट


(सांवर मल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)